FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा
अनवान

सुआमोटो रास्ता बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा
किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर
प्र०सं० 12/2020 प्रा०पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांकः राजस्व/2020/814 दिनांक 01.09.2020 द्वारा ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का ज्ञानगढ तहसील करेड़ा के बिलानाम आ.नं.1200 रकबा 26.17 बीघा किस्म गै.मु.मंगरी मे से रकबा 1.00बीघा भूमि को जो ग्राम रूपपुरा से मजरा धरड़ीया की आवादी भूमि तक की ग्रेवल सड़क जो मौके पर चालू रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। जिसके समर्थन में सम्वत् 2071 से 2074 की नकल जमावन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का ज्ञानगढ के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालयके क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	
12.10.2020	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट/अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **:: आदेश ::** अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रूपपुरा प०ह० ज्ञानगढ तहसील करेड़ा के बिलानाम आ.नं.1200 रकबा 26.17 बीघा किस्म गै.मु.मंगरी मे से रकबा 1.00 बीघा भूमि को जो ग्राम रूपपुरा से मजरा धरड़ीया की आबादी भूमि तक की ग्रेवल सड़क, जो मौके पर रास्ता के रूप में ... को राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में, संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–... में वर्णितानुसार कर अमलदरामद की कार्यवाही कर ... न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार ... हो। (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 08:28:39 IST
Reason: SelfAttested